

Date of order or proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

11/02/17

आवेदक रामवीर सिंह आदेश श्री न्याय सिद्ध न्याय
अविद्यमान उपस्थित।

प्रकरण अभिलेख/प्रतिवेदन की प्राप्ति हेतु निम्न है।
आवेदक अविद्यमान ने लोक अदालत में निम्नलिखित किये जाने
का निवेदन किया कि बीमा कम्पनी अविद्यमान श्री न्याय न्याय उम।
मूल अभिलेख अभिलेखागार सिण्ड से 31/15 फलेम रामवीर
सिंह - फिरोज शां आदि खाति- 12-11-16 तथा नाथ नजिर गोहद से
प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

प्रकरण का अवलोकन किया। अवाई राशि के जमा होने के
संबंध में नजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।

अवाई राशि के भुगतान वास्तु आवेदनपत्र पर सुना गया।
आवेदनपत्र पर विचार किया गया प्रकरण में आवेदक के
क्षतिपूर्ति हेतु खाति- 12-11-16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 55000/-
(पंचपन हजार) रुपये जरिये बैंक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के
बैंक जमा पंजी कं-03/17 दिनांक 08-02-17 को 55000/- (पंचपन
हजार) रुपये से नजरत अनुभाग गोहद भेजा गया जो नजरत अनुभाग के
पंजीयन क्रमांक 03/17 दिनांक 09-02-17 पर जमा होकर रोज है।

मूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि उपर
प्रकरण इसी न्यायालय में मासिक नेशनल लोक अदालत में दिनांक
25-06-16 को निराकृत हुआ। आदेश दिनांक 12-11-16 का अवलोकन
किया जिसमें राजीनामा के आधार पर अवाई पारित करते हुए राशि
55000/- (पंचपन हजार) रुपये आवेदक रामवीर को बीमा कम्पनी द्वारा 01
माह के भीतर अदा किये जाने का आदेश दिया गया है।

अतः आदेश के पालन में आवेदक रामवीर पुत्र रामसिंह
जाति जाट निवासी सुमेर कोलानी वाई नं-17 गोहद चौखण परमान
गोहद जिला सिण्ड म.प्र. को राष्ट्रीय बैंक खाता के माध्यम से 55000/-
(पंचपन हजार) रुपये का भुगतान किया जाना है। आदेशानुसार पक्षकार के
उपस्थित होने पर सिफ्ट बचकर तैयार कर नाथ नजिर गोहद की मां
कार्यवाही हेतु भेजा जावे। लोक अदालत नोटिस तैयार हो।

मूल अभिलेख प्र.कं-31/15 फलेम रामवीर वनम फिरोज
शां आदि खाति- 12-11-16 में आदेश की प्रति संलग्न कर अभिलेखागार
सिण्ड को वापिस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार सिण्ड
भेजा जावे।

पी. सी. अय्य 21/2
सदस्य

वि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण
गोहद जिला-सिण्ड (म.प्र.)

(मो. नं. गीता 21)